पत्रावलीयक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली अब पेश हुई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/9/17 को पेश हो।

चिग्ना
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

14/9/17 पत्रावली पेश हुई। अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 5/10/17 को पेश हो।

चिग्ना
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5/10/17 वकील उभयपक्ष उप.। बहस हेतु समय चाहा। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 2/11/17 को पेश हो।

चिग्ना
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2/11/17 वकील उभयपक्ष उप.। वकील अपीलान्ट ने बहस हेतु समय चाहा/अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 16/11/17 को पेश हो।

चिग्ना
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

16/11/17 पत्रावली पेश हुई। अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 30/11/17 को पेश हो।

चिग्ना
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

30/11/17 अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगवाई गई। अन्तिम आवाज 3.00 P.M. पर लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः यह अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत न्यायालय विधिवत सूचित हो। पत्रावली बाद तकमील नाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

चिग्ना
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर